

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
दूरभाष Telephone :25487245/7243
ई-मेल e-mail: enforce@dcsem.gov.in

सं. निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-4020/2026 /2228
No.DCSEM/Enft/e-4020/2026

फरवरी February 03, 2026

परिपत्र CIRCULAR

विषय: एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध।
Sub: Ban on single-use Plastic.

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय द्वारा दिनांक 06.07.2021, 22.06.2023, 29.09.2023 और 16.01.2025 को जारी परिपत्रों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिनमें अणुशक्तिनगर के सभी निवासियों/दुकानदारों/विक्रेताओं से एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से परहेज करने और इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने का अनुरोध किया गया है।

Reference is invited to this Directorate's circular dated 06.07.2021, 22.06.2023, 29.09.2023 and 16.01.2025 on the captioned subject requesting all residents/shopkeepers/vendors in Anushaktinagar to refrain from the practice of using single-use plastic bags and to follow the restrictions imposed by the Government of Maharashtra in this regard.

2. हाल ही में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव द्वारा जारी स्वच्छता पखवाडा 2026 के लिए समेकित दिशानिर्देशों को पृष्ठांकित करते हुए एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने के संबंध में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है।

In the recent past, Department of Atomic Energy has endorsed consolidated guidelines for Swachhta Pakhwada 2026 issued by Cabinet Secretary, Government of India wherein it has been stressed to create awareness among citizens regarding curbing Single-Use Plastic.

3. एकल-उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में दुकानदारों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वितरण के अंतिम बिंदु को नियंत्रित करते हैं। प्लास्टिक बैग के स्थान पर कागज, कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करने जैसे छोटे और व्यावहारिक बदलाव से वे प्लास्टिक कचरे की मात्रा को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तदनुसार, सभी दुकानदारों/विक्रेताओं को इस निदेशालय के दिनांक 16.01.2025 के परिपत्र के माध्यम से जारी निर्देशों का पुनः पालन करने और तत्काल प्रभाव से अपने ग्राहकों को एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग का वितरण बंद करने का निर्देश दिया जाता है।



Shopkeepers are vital in the fight against single-use plastic as they control the final point of distribution. By implementing small and practical changes like replacing plastic bags with paper, fabric, or jute bags they can significantly reduce the volume of plastic waste. Accordingly, all the shopkeepers/vendors are once again directed to follow the instructions already issued vide this Directorate's circular dated 16.01.2025 and stop distributing single-use plastic bags to their customers with immediate effect.


4. एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर्यावरण के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन गया है, जो प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या में योगदान दे रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अणुशक्तिनगर के निवासी पुनः प्रयोज्य विकल्पों को अपनाकर और दुकानदारों, विक्रेताओं, रेस्तरां आदि द्वारा दिए जाने वाले एकल-उपयोग प्लास्टिक बैग को अस्वीकार करके इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Single-use plastics (SUPs) have become one of the most critical environmental challenges, contributing to the growing issue of plastic pollution that affects ecosystems, wildlife, and public health. Being responsible citizens, residents of Anushaktinagar can play a crucial role in combating this issue by opting for reusable alternatives and refusing single-use plastic bags provided by shopkeepers, vendors, restaurants etc.

5. अणुशक्तिनगर के निवासियों/दुकानदारों से सहयोग, आवश्यक कार्रवाई और तत्काल उपचारात्मक उपायों की अत्यधिक अपेक्षा की जाती है।

Co-operation, necessary action and immediate remedial measures from the residents/shopkeepers of Anushaktinagar will be highly solicited.

6. इसे इस निदेशालय के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority in this Directorate.


03-02-2026

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)
निदेशक (पी एंड ए) Director (P&A)

अणुशक्तिनगर/मंडाला के सभी निवासी
All residents of Anushaktinagar/Mandala

अणुशक्तिनगर/मंडाला के सभी दुकानदार
All Shop Allottees in Anushaktinagar/Mandala

संबंधित टीटीएम के प्रभारी
अभियंता के माध्यम से
Through: EIC of concerned
TTMs

- Copy to: 1) मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर
CSO, Anushaktinagar.
2) अध्यक्ष/सचिव एआरडब्ल्यूए, एमआरडब्ल्यूए, डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए
President/Secretary ARWA, MRWA, WSRWA
3) निसेसंप्रति वेबसाइट
DCSEM website.